बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग- १ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

(बुधवार, तिथि ७ जुलाई १९७६ ई० ।)

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर ।	१-२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : २० एवं २१	२—१४
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ५६५, ९७०-९७४, ९७६, ९८५, ९८८-९९३, ९९७, ९९९, १००१, १००३-१००६, १००९-१०११, १०१५, १०१६, १०२०-१०२२, १०२४, १०२६, १०२७, १०३०, १०४१ ।	१४—६०
अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :	
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	६१—१४६
दैनिक निबंध	१४७-१४८

टिप्पणी : —जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

बिहार विधान सभा वादवृत्त

बुधवार, दिनांक ७ जुलाई १९७६ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकल विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बुधवार तिथि ७ जुलाई, १९७६ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा—महाशय, षष्ठ बिहार विधान-सभा के सत्र के ८३ *अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ (II) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखती हूं ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ३ के सम्बन्ध में ।

*श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—उत्तर तैयार है ।

अध्यक्ष—मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो उच्चस्तरीय बैठक हुई, उसमें जो निर्णय हुआ, उसके प्रकाश में यह उत्तर आपने तैयार कराया है या उसकी खबर आपको नहीं है ।

उच्चस्तरीय बैठक हुई थी कि किस तरह के भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्न पूछें जायं, कितने दिनों में जवाब दिया जाय, किस तरह का जवाब दिया जाय, आदि आदि । मुझे लगता है इसको आपने नहीं देखा है ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—विभाग के द्वारा जो उत्तर तैयार किया गया है, वही मैं दे रहा हूं ।

अध्यक्ष—मैं सदन से कुछ गुप्त नहीं रखना चाहता हूं कल आपके मुख्य सचिव आये थे, और और कुछ लोग थे । जो निर्णय हुआ था उसमें कुछ जरा-मरा, भाषा सम्बन्धी संशोधन करके, कल मैंने इसको एप्रूभ किया और तय हुआ कि आप विभागों को सर्कुलेट करेंगे और हो सकेगा तो आज या कल हम भी सदस्यों को वितरित करा देंगे । उस प्रकाश में आपका उत्तर तैयार नहीं है ?

*पाद टिप्पणी—कृपया इसके लिए परिशिष्ट देखें ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—यह तो कल ही वितरित होने वाला था और परसों ही आ गया था।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य तो पूछ चुके हैं मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि दो-तीन दिन के लिए प्रतीक्षा करें और सरकार जो अमेन्डेड फौर्म (संशोधित रूप) में उत्तर देगी, उस पर प्रश्नोत्तर होगा।

श्री रमेश झा—विवरण ठीक आवे, देर भी हो, तो कोई बात नहीं है।

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—हां, विवरण पूरा होना चाहिये।

अध्यक्ष—विवरण पूरा हो, न हो, वह तो सरकार के ऊपर है, लेकिन किस नीति के मुताबिक काम हो, यह निर्धारित करना हमलोगों का कर्त्तव्य था, वह हो गया है।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

वाली आयोग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई।

२०। श्री जनार्दन तिवारी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री एल० के० मिश्रा दरभंगा सी० एम० कालेज में प्राचार्य के पद पर थे तो उनपर लाखों रुपये गड़बड़ी करने का आरोप था, जिसकी जांच वाली आयोग द्वारा की गयी थी ;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त वाली आयोग ने क्या प्रतिवेदन दिया और उसके आधार पर सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की है ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह—(१) बात ऐसी है कि डा० एल० के० मिश्र, सी० एम० कालेज, दरभंगा के प्राचार्य थे तब उनके विरुद्ध बहुत से आरोप पत्र कुलाधिपति को प्राप्त हुए थे। कुलाधिपति बिहार के राज्यपाल ने एक जांच आयोग श्री बी० बाला सुब्रह्मण्यम, विभागीय जांच आयुक्त, के अधीन गठित किया था।

उक्त जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में डा० मिश्र के विरुद्ध उनके प्राचार्य, सी० एम० कालेज, दरभंगा के कार्याकाल से संबंधित कुछ अनियमितताएं बरतने एवं अधिकारों के दुरुपयोग करने संबंधी आरोपों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन कुलाधिपति को समर्पित किया था।